

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 और 2019-20 का शुद्धि-पत्र
CORRIGENDUM TO ANNUAL REPORTS 2018-19 AND 2019-20

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्टों में निम्नलिखित सुधार किये गये हैं और इस कारण से अधिसूचित किये जाते हैं।

The following corrections in the Annual Reports for the financial years 2018-19 and 2019-20 are made and hence notified.

क) वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में / A) In Annual Report for the year 2018-19

वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 84 के बिन्दु संख्या (2) और (4) को निम्नानुसार पढ़ा जाए

I) Point Number (2) and (4) of Page Number 84 of Annual Report may be read as below

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में महिलाओं का अंश पालिसियों की संख्या में 31.78% तक घट गया है जबकि प्रथम वर्ष प्रीमियम में यह 32.89% तक बढ़ गया है जो तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2017-18 में दोनों ही विषयों के संबंध में 32% रहा है।

2. The share of women in the FY 2018-19 has decreased to 31.78% in number of policies whereas it has increased to 32.89% in first year premium as compared to 32% on both counts in FY 2017-18.

4. महिला पालिसियों का अनुपात निजी जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में 27% है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मामले में यह 33.43% है।

4. The proportion of women policies in case of private life insurers is 27% and that of LIC is 33.43%.

ख) वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में / B) In Annual Report for the year 2019-20

II) वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 16 में बिन्दु संख्या (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए

II) Point Number (ii) of Page No 16 of Annual Report may be read as below

(ii) वर्ष 2019-20 में महिलाओं का अंश पालिसियों की संख्या में 32% तक बढ़ गया है तथा प्रथम वर्ष प्रीमियम में इसमें 34% तक वृद्धि हुई है जबकि तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ये क्रमशः 31.78% और 32.89% रहे हैं।

ii. The share of women in the year 2019-20 has increased to 32% in number of policies and 34% in first year premium compared to 31.78% and 32.89% respectively for FY 2018-19.

प्राधिकरण को उक्त त्रुटि और असुविधा, यदि कोई हो, के लिए खेद है।

The Authority regrets the error and inconvenience, if any.

मुख्य महाप्रबंधक (जीवन बीमा) / Chief General Manager (Life Insurance)